

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 304

दायरा तिथि : 19.09.2024

आदेश तिथि : 25-11-2024

प्रार्थी :- श्री त्रिलोकचंद पुत्र तुलसीराम जाति जाटव, निवासी बरलावास, राजगढ, अलवर (राज.)

व न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 25-11-24

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा-1 पटवार हल्का बेडा-1 तहसील बाली के खसरा नंबर 38/5 रकबा 1.6000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम बेडा-1 पटवार हल्का बेडा-1 तहसील बाली के खसरा नंबर 2908/2892 रकबा 41.2189 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में नीला रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/2394 दिनांक 28.10.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि आवेदक (खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खातेदार उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान से ही आना जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है।
3. यह है कि ग्राम बेडा-1 में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
	2908/2892	41.2189 हैक्टर	गै.मु. मगरा	90X9=810 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह कि भू-अभिलेख निरीक्षक बेडा की रिपोर्टनुसार प्रस्तावित प्रस्तावित रास्तो के खसरो की डी.एल.सी. दर 1,97,886 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण, ढाणी या पुराना वृक्ष नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

// 02 //
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024 / 264
 अनवरत त्रिलोकचंद बनारस सरकार
 अंतर्गत धारा 261 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व दस्तावेज की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा-1 पटवार हल्का बेडा-1 तहसील बाली के खसरा नंबर 38/5 रकबा 1.6000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2394 दिनांक 28.10.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 संपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pl/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा-1 पटवार हल्का बेडा-1 तहसील बाली के खसरा नंबर 38/5 रकबा 1.6000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायक की भूमि ग्राम बेडा-1 पटवार हल्का बेडा-1 तहसील बाली के खसरा नंबर 2908/2892 रकबा 41.2189 हैक्टर में से 810 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति वर्ग मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,97,886 /-रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2908 / 2892	41.2189 हैक्टर	90X09=810 वर्गमीटर	20	16,200X2=32,400	राजकीय सिवायक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 32,400/- (अक्षरे बत्तीस हजार चार सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकर्ड में बतौर राजकीय सिवायक चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जायेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 23 44 - 23 48
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा-1
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री त्रिलोकचंद पुत्र तुलसीराम जाति जाटव, निवासी बरलावास, रज्जगाड़, अलवर (राज.) को सूचनार्थ।

(दिनेश बिस्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
 दिनांक : 25-11-24

उपखण्ड अधिकारी, बाली -
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

